नीली क्रान्ति
हरियाणा सरकार
मत्स्य पालन विभाग

लवणीय भूमि जल झीगां पालन हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत् हरियाणा राज्य मे वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत लवणीय भूमि में झींगाा पालन काप्रोजैक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है । इस प्रोजैक्ट को क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों /मत्स्य किसानों से आवेदन दिनांक 13–09–2019 तक आमन्त्रिंत किये जाते है । विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुदान का मुख्य स्वरूप निम्न प्रकार से है :–

1. **लवणीय भूमि मे झींगा पालन ।**

इस परियोजना के तहत् जिला रोहतक, हिसार, झज्जर, गुडगांव, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाडी, सोनीपत, फतेहाबाद, मेवात (नूहँ), जीन्द, करनाल, सिरसा, पलवल तथा फरीदाबाद के इच्छुक व्यक्ति जिनके पास अपनी भूमि या लम्बी अवधि पर प्राईवेट/लीज भूमि उपलब्ध हो तो तालाब निर्माण, खाद खुराक इत्यादि पर प्रार्थी को अनुदान केवल भारत सरकार की दिशानिर्देशानुसार/मापदण्डों (Guidelines) के आधार पर कुल धनराशि 10.00 लाख रू0 पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग व 60 प्रतिशत अनुदान कमजोर वर्ग जैसे महिला/अनुसूचित जाति/जन–जाति/सहकारी समिति को प्रदान किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि प्रार्थी स्वयं/बैंक द्वारा ऋण लेकर वहन करेगा। प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाना होगा व विभाग के नियम व शर्तों के अनुपालना हेतु एक शपथपत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा देना होगा। इच्छुक व्यक्ति इस प्रोजैक्ट हेतु अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी के कार्यालय में दिनांक 13–09–2019 तक जमा करवा दें।

आवेदन पत्र

वर्ष 2019–20 मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् लवणीय भूमि में झीगां पालन हेतु आवेदन पत्र ।

फोटो

1. प्रार्थी का नाम :
2 पिता का नाम :
3 स्थायी पता (राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि)
4 प्रार्थी की आयु :
5 लवणीय भूमि जल का विवरण :
क. भूमि की मलकियत (भूमि की फर्द जमाबंदी सहित)
ख. पंचायत से पट्टे पर ली गई भूमि पर तालाब का निर्माण (4 न0 की रसीद व पट्टा अवधि का प्रमाण पत्र)
6. लवणीय भूमि जल / तालाब का विवरण
क. गांव का नाम :
ख. तालाब का नाम :
ग. तालाब की भूमि का किला न0 :
ध. तालाब की भूमि का क्षेत्रफल :
ड. तालाब का जलक्षेत्र :
7. प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव (दस्तावेजों की छायाप्रति सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी से सत्यापित करवाकर):
8. प्रार्थी द्वारा यह शपथ पत्र देना होगा की वह विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त परियोजना का कार्य 3 वर्षो तक करेगा तथा अनुदान के पश्चात शेष बची धनराशि स्वयं या बैंक से ऋण लेकर वहन करेगा।
9. मत्स्य शिक्षा संस्थान लाहली रोहतक / जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हिसार द्वारा जारी की गई मिट्टी पानी की निरीक्षण रिपोर्ट ।

दिनांक:

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मत्स्य अधिकारी

जिला मत्स्य अधिकारी

अधिक जानकारी हेतु मंडल स्तर पर उपनिदेशक, मत्स्य एवं जिला स्तर पर जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते है अथवा विभागीय वैब साईट www.harfish.gov.in पर देख सकते है।

वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लवणीय भूमि में झींगा पालन करने हेतु आवेदन की शर्तेः–

1. आवेदक के पास भूमि निजी या लीज पर होनी चाहिए। लीज अवधि न्युनतम 3 वर्ष या अधिकतक 8 वर्ष या आगे होनी चाहिए तथा लीज डीड रजिर्स्टड होनी चाहिए।
2. आवेदकों को सबसीडी बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाऐगी।
3. तालाब का ऐरिया 1.00 हैक्टेयर होना चाहिए।
4. प्रत्येक लाभार्थी को एक हैक्टेयर पर लाभ का पात्र होगा। यदि आवेदन कम प्राप्त होते है तो पात्रता की सीमा एक हैक्टेयर के अनुरूप बढाई जायेगी।
5. आवेदक 21 से 60 की आयु के समूह का होना चाहिए।
6. आवेदक की भूमि जिस पर तालाब खोदा जाना है कि स्पष्ट टाईटल सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों से सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
7. यदि किसी जिले में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उनका चयन लॉटरी (ड्रॉ) के माध्यम से किया जाएगा।
8. साईट झींगा पालन के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। इस संदर्भ में स्थल की उपयुकत्ता हेतु सर्टीफिकेट सी0आई0एफ0ई0 सेंटर, लाहली (रोहतक) से प्राप्त किया होना चाहिए।
9. आवेदक हरियाणा का बोनाफाईड निवासी होना चाहिए।
10. सबसीडी बैंक लोन/स्वंय–वित्त पोषण पर प्रदान की जायेगी।
11. किसानों का वित्तीय स्तर लाभपात्रियों के चयन हेतू विचारार्थ होगा।
12. आवेदक नियमों व शर्तों के अनुसार अपने दस्तावेज जमा करवा सकते है तथा इस बारे अधिक जानकारी व विस्तृत निर्देशो के लिए सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी/जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।
13. अनुदान का विवरण विभाग को प्रदान किए गए बजट पर निर्भर होगा अगर विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं होगा वो अनुदान प्रदान करने के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यह विज्ञापन व आवेदन पत्र विभाग की वैब साइट www.harfish.gov.in पर उपलब्ध है।

निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा,
बेज न031–32, सैक्टर 16,
पंचकूला ।